भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
17.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2883 का उत्तर

वाई-फाई और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बजट/व्यय

2883. श्री अबू ताहेर खान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरों और संबंधित प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने और प्रचालित करने के लिए बजट और किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे के परिचालन अनुपात के संबंध में इस व्यय के घटक का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाई-फाई का उपयोग करने के लिए लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देना अपेक्षित है और यदि हां, तो डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) विगत वर्ष के दौरान इसके लिए दर्ज किए गए डेटा उल्लंघनों/प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल के लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा 4जी/5जी कवरेज उपलब्ध कराया गया है। इन नेटवर्क का इस्तेमाल यात्री डेटा कनेक्टिविटी के लिए भी कर रहे हैं, जिससे यात्री अनुभव बेहतर हो रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय रेल के 6117 रेलवे स्टेशनों पर मुफ़्त वाई-फ़ाई सेवाएं प्रदान की गई हैं। रेलवे स्टेशनों पर इन वाई-फ़ाई सेवाओं के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अलग से कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई है।

रेलवे स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली वाई-फाई सेवा को इस्तेमाल करने के लिए ओटीपी के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाती है। रेल प्रशासन, स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा के काम करने से संबंधित कोई समस्या पाए जाने पर तुरंत उचित कार्रवाई करता है।

स्टेशनों और सवारी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाना एक सतत प्रक्रिया है। अब तक, रेल यात्रियों की सुरक्षित और सुनिश्चित यात्रा के लिए 1731 स्टेशनों और 11,953 सवारी डिब्बों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली प्रदान की गई हैं। सीसीटीवी निगरानी प्रणाली पूंजीगत व्यय के तहत उपलब्ध कराई जाती है।

*****